# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

**पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0**

**प्रकरण संख्या– 02/2012**

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये इरफान कुरैशी, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बारां जिला–बारां (राज.) **( प्रार्थी )**

बनाम

श्री चिरोंजीलाल पुत्र श्री भुज्जीराम, आयु 32 वर्ष, जाति खाती, पेशा उचित मूल्य दुकानदार, खिरियां ग्राम पंचायत पीपलखेड़ी, निवासी ग्राम खिरियां तह. शाहाबाद जिला–बारां **(अप्रार्थी )**

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत**

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **( प्रार्थी )**
2. श्री ओमप्रकाश मेहता II अभिभाषक **( अप्रार्थी )**

**निर्णय दिनांक– 03.03.2022**

1– प्रार्थी श्री इरफान कुरैशी, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बारा ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 24.11.2012 को समय 3.30 पी.एम. पर मैं इरफान कुरैशी, प्रवर्तन निरीक्षक शाहाबाद बहमराह श्री मुबारिक हुसैन, नायब तहसीलदार, केलवाड़ा तहसील शाहाबाद के साथ दिनांक 23.11.2012 को ग्राम खीरियां ग्राम पंचायत पीपलखेड़ी में श्री मुबारिक हुसैन, नायब तहसीलदार द्वारा जाचं की गई। उचित मूल्य दुकानदार श्री चिरोंजीलाल की दुकान पर जप्तशुदा 17 बोरी गेंहू (प्रत्येक में एक क्विं. गेंहू) की पुनः जांच हेतु पहुंचा। मौके पर श्री चिरोंजीलाल का मकान स्थित मेन रोड़ खीरिया पर ग्राम पंचायत पीपलखेड़ी में कार्यरत तीन डीलर्स श्री चिरोंजीलाल (खिरिया), श्री जयप्रकाश शर्मा (हथवारी), श्री बबलेश सहरिया (हथवारी) मौजूद मिले जिन्होने पूछने पर बताया कि उक्त तीनों डीलर्स की राशन सामग्री का वितरण ग्राम खीरिया को केन्द्र बिन्दु मानते हुए राशन कार्डधारियों की सुविधा को देखते हुए वितरण किया जाता है। [illegible] 06.2012 का श्री चिरोंजीलाल द्वारा प्रस्तुत किया जिसमें जिला रसद अधिकारी [illegible] तीनों डीलर्स का वितरण ग्राम खीरियां स्थित व्यवसाय स्थल से [illegible] पर उक्त तीनों डीलर्स के स्टाक रजिस्टर का अवलोकन करने [illegible] दर्ज पाया गया–

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 11:26:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

| नाम डीलर | बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल गेंहू (कि.ग्रा.में) | अन्य अन्त्योदय गेंहू (कि.ग्रा. में) | सहरिया अन्त्योदय गेंहू (कि. ग्रा.में) | एपीएल गेंहू (कि.ग्रा.में) | एपीएल आटा (क्विं. में) | केरोसीन (लीटर में) | लेवी चीनी (कि.ग्रा.मे) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जयप्रकाश शर्मा (हथवारी I) | 25 | — | 6090 | — | 100 | 116 | 150 |
| चिरोंजीलाल (खिरिया II) | 25 | 70 | 35 | — | 920 | 628 | 410 |
| बबलेश सहरिया (हथवारी III) | 125 | 175 | 35 | — | 100 | 409 | 309 |
| योग | 175 | 245 | 6160 | — | 1120 | 1153 | 869 |

इस प्रकार मौके पर उक्त व्यापार स्थल पर कुल 65.80 क्विं. गेंहू विभिन्न योजनाओं का 1120 कि.ग्रा. आटा, 1153 ली. केरोसीन तथा 869 कि.ग्रा. चीनी कुल उपलब्ध होनी चाहिए। रूबरू मौके पर उक्त मकान में स्टाक का भौतिक सत्यापन करने पर एक दुकान में 6 ड्रम केरोसीन के भरे नापने पर 1153 लीटर दूसरी दुकान में 17 कट्टे चीनी पूरे भरे हुए, प्रत्येक में 50 किलो एवं 19 कि.ग्रा. चीनी खुले कट्टे में 869 कि.ग्रा. चीनी तथा 112 कट्टे आटा एपीएल श्रेणी के प्रत्येक में 10 कि.ग्रा. आटा मेसर्स गोयल फ्लोर मील बारां का 1120 कि.ग्रा. आटा मौजूद पाया गया। श्री चिरोंजीलाल के मकान के आंगन में कुल 132 कट्टे एफसीआई के सिले एवं भरे हुए, तोलने पर (नमूने के तौर पर) 50 कि.ग्रा. के कुल 66 क्विं. गेंहू रखे पाये गये इसके साथ आंगन में 50 बोरी गेंहू नमूने के तौर पर तोलने पर प्रत्येक बोरी में 100 कि.ग्रा. गेंहू भरा हुआ हाथ से सिली हुई बोरियां अर्थात 50 क्विं. गेंहू रखा हुआ पाया गया। श्री मुबारिक हुसैन, नायब तहसीलदार ने बताया कि दिनांक 23.11.2012 को इसी व्यवसाय स्थल से 17 क्विं. गेंहू 17 बोरियों में भरा हुआ श्री चिरोंजीलाल से प्राप्त कर श्री नन्दकुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जी की सुपुर्दगी में दिया गया था। मौके पर तलब करने पर श्री मुबारिक हुसैन द्वारा उक्त 17 बोरी गेंहू (17 क्विं.) श्री नन्दकुमार से प्राप्त कर मौके पर प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार श्री चिरोंजीलाल के व्यवसाय स्थल से कुल 67 क्विं. गेंहू स्टॉक से अधिक होना पाया गया। इस अधिक पाये गये गेंहू बाबत पूछने पर श्री चिरोंजीलाल ने कोई संतोषजनक उत्तर मौके पर नहीं दिया। इस प्रकार कुल 67 क्विं. गेंहू जो जूट की 67 बोरियों में भरा हुआ है जप्त किया गया एवं सुरक्षा व साक्ष्य की दृष्टि से मौके पर बुलाये गये एफपीएस डीलर श्री पूरणचन्द मेहता, केलवाड़ा की सुपुर्दगी में संभलाये गये। मौके पर जप्त किये गये स्टॉक रजिस्टर के स्थान पर नये स्टॉक रजिस्टर प्रमाणित कर जारी किये गये।

इस प्रकार श्री चिरोंजीलाल ... ग्राम एफपीएस डीलर खिरिया ग्रा.पं. पीपलखेड़ी, तहसील शाहाबाद के द्वारा अवैध रूप ... 67 क्विं. गेंहू का संग्रहण कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक ... आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त ... 5,8,11 एवं 17 (सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 11:26:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जप्तशुदा 67 क्विं. गेंहू मय बारदाना को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा गेंहू खराब होने वाली वस्तु होने के कारण धारा 6--ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें।

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी स्वंय तथा जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं करना चाहा तथा सीधे बहस करने हेतु निवेदन करने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद की सुनी।

3— बहस के दौरान प्रार्थी पेरोकार रसद ने इस्तगासा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से संग्रहित जब्तशुदा गेंहू 67 क्विं. मय बारदाना का अंतरिम निस्तारण श्रीमान् के आदेशानुसार किया जाकर प्राप्त राशि अमानत मद में जमा करवाई जा चुकी है। अतः प्रकरण में जब्तशुदा गेहूँ वजनी 67 क्विंटल मय बारदाना को धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

4— हमने पेरोकार रसद की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, शाहाबाद द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर उचित मूल्य दुकान खिरियां ग्राम पंचायत पीपलखेड़ी मौके पर पहुंचकर डीलर श्री चिरोंजीलाल द्वारा अवैध रूप से संग्रहित गेंहू 67 क्विं. मय बारदाना को जप्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा इस बाबत पूछे जाने पर ना तो मौके पर प्रवर्तन निरीक्षक को कोई संतोषजनक उत्तर दिया ना ही प्रकरण में कोई जवाब पेश किया तथा दौराने बहस भी अप्रार्थी स्वंय तथा उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा गेंहू 67 क्विं. मय बारदाना को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5— परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा गेंहू 67 क्विं. मय बारदाना को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा गेंहू की राजकीय अमानत मद में जमाशुदा राशि विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय को निर्धारित विभागीय मद में जमा करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 11:26:22 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक [illegible].03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर,बारां
बारां (राज०)